

अज अदालत..... **महाशक कलक्टर (SDO)** मुकाम.....

नायद

दुर्गाराम

बनाम

धमधराराम

किस्म मुकदमा..... नं. 51/18 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/2/18 21/02/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिवोहराराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 123</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/2/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">महाशक कलक्टर (SDO) नायद</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिच्यत। विप्रार्थी/जिवा संघर्ष। 1. से 3 की कोर्ट में वकील श्री धेताराम जाखंड द्वारा पेशावली पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी वकील द्वारा No objection किया गया जो जखान पेश नहीं करवा चाहते थे विप्रार्थी/जिवा का जवाब वक्त किया जाना है प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट महेश दुनी गुर्ग प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया श्री प्रार्थी को अपने ध्यातेदारी खेले श्री पत्रावली नेपथमवली करवाने आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपथमवली प्रवेदन करवाया किना जाउ नेपथमवली प्रवेदन किया जावे। अतः प्रार्थी का नेपथमवली प्रवेदन करवाया किना जाउ तस्वीरदार वाकड को उमिमानर नियुक्त किना जाउ है व प्रवेदन किया जाउ है कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता किसी भी रूप अभिलेख निरीक्षण से प्रार्थी के ध्यातेदारी खेले श्री पत्रावली नेपथमवली मोडे पर सुलउ जमा/डाउड उरे पालना रिपो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली में पत्रावली प्रेमल सुक ये दर्ज नम्बर में उम में दाखिल करवा है।</p>	<p style="text-align: center;">महाशक कलक्टर (SDO) नायद</p> <p>No objection</p>

महाशक कलक्टर (SDO)
नायद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/ 249
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 21/2/18

1. दुर्गाराम पुत्र ठाकराराम जाति
जाट निवासी मिठिया तला,
बायतु पनजी तह. बायतु जिला
बाडमेर

1. घमण्डाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा
3 निवासी मिठिया तला, बायतु
पनजी तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 51/18

आदेश

मौजा मिठिया तला पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 991/313, 996/380, 987/311, 984/284 रकबा कमशः 08.19, 16.15, 12.19, 01.18 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/वाद/2018/ 250 to 254
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 21/2/18
कलक्टर (SDO)
बायतु

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपरिथत रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री दुर्गाराम पुत्र ठाकराराम ।
4. विप्रार्थीगण श्री घमण्डाराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 3।
थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।



उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु